न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 143/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/246

प्रार्थीगण — बनाम — विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1.पदमाराम पुत्र वनाराम
2.साकुदेवी पत्नि टिकमाराम
3.जगदीश पुत्र टिकमाराम
4.देवाराम पुत्र टिकमाराम
5.सुरेश कुमार पुत्र टिकमाराम
जाति मेघवाल निवासी मूंगडा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा प्रार्थी संख्या 03 ता 05 नाबालिग जरिए कुदरती वलीया माता साकू देवी पत्नि टिकमाराम जाति मेघवाल निवासी मूंगडा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1.बाबूखां पुत्र ईमामखां फौत के वारिसान
1/1.सकीरा बेवा बाबूखां
1/2.सुबानखां पुत्र बाबूखां
1/3.नूरखां पुत्र बाबूखां
1/4.नजीरखां पुत्र बाबूखां
1/5.इबरानखां पुत्र बाबूखां
जाति मुसलमान
2.नेताराम पुत्र तेजराम जाति पालीवाल
3.मांगीलाल पुत्र तेजराम,जाति पालीवाल
4.शम्भूनाथ पुत्र हीरनाथ
5.चिडीदेवी पत्नि शम्भूनाथ
जाति कालबेलिया निवासी मूंगड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
7.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 28.11.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि ग्राम ग्राम मूंगडा पटवार हल्का मूंगडा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1945/805 क्षेत्रफल 1.8211 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 02 से 05 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1946/805 क्षेत्रफल

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1.8292 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि ग्राम मूंगडा पटवार हल्का मूंगडा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1945/805 क्षेत्रफल 1.8211 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 02 से 05 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1946/805 क्षेत्रफल 1.8292 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि ग्राम मूंगडा पटवार हल्का मूंगडा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1945/805 क्षेत्रफल 1.8211 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 02 से 05 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1946/805 क्षेत्रफल 1.8292 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि ग्राम मूंगडा पटवार हल्का मूंगडा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1945/805 क्षेत्रफल 1.8211 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 02 से 05 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1946/805 क्षेत्रफल 1.8292 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि ग्राम मूंगडा पटवार हल्का मूंगडा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1945/805 क्षेत्रफल 1.8211 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 02 से 05 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1946/805 क्षेत्रफल 1.8292 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 18.4.2025 की अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मूंगडा पटवार हल्का मूंगडा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1945/805 क्षेत्रफल 1.8211 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1946/805 क्षेत्रफल 1.8292 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए नियमानुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

28/11/2025

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28.11.2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

28/11/2025

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा